संख्या–164 /XXVIII(1)/2016-15(नर्सिंग) /2011

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून : दिनांकः 24 फरवरी , 2016।

विषयः– **जनपद नैनीताल में जी0एन0एम0 स्कूल के निर्माण कार्यो हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 26 प/चि0शि0/33/2012/999 दिनांक 26 फरवरी 2015 के द्वारा उपलब्ध कराये गये डी0पी0आर0 में टी0ए0सी0, वित्त विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गयी धनराशि रू0 1018.62 लाख की वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में प्रथम किश्त के रूप में रू0 **2,25,00,000/–(रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

I. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की केन्द्र सहायतित नर्सिंग सुदृढ़ीकरण योजना (85% केन्द्रपोषित) (CSS) के अन्तर्गत पत्र संख्या–Z.28015/76/2010-N दिनांक 27 अक्टूबर 2010 के माध्यम से केन्द्रांश की प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त धनराशि रू0 225.00 लाख जो कि निदेशक चिकित्सा शिक्षा के बैंक खाते में जमा है, से किया जायेगा।

II. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से अवश्य ले।

III. कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, अपने कार्य प्रदर्शिका, वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा डी0एस0आर0 के नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि त्रुटिवश कोई फाइेननशियल डुप्लीकेसी होती है, तो उसका तत्काल निराकरण करेंगे।

IV. व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

V. उक्त कार्य को निर्धारित लागत एवं निर्धारित समय में पूर्ण करने का नियमानुरूप अनुबन्ध (MOU) कार्यदायी संस्था के साथ विभागाध्यक्ष द्वारा करके एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

VI. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

VII. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि आगणन में स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

VIII. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

IX. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

X. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

XI. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एंव अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

XII. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219/2006 दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

XIII. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में है) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। यह परिवर्तन स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत ही किये जा सकेंगे।

XIV. उक्तानुसार अनुमन्य की जा रही धनराशि वर्णित सम्पूर्ण कार्य हेतु अधिकतम व्यय सीमा मात्र को प्राधिकृत करता है। भुगतान किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया से किया गया है।

XV. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

XVI. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिशचित किया जायेगा।

2— उक्त निर्माण कार्य समय से पूर्ण कराने का समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

3— कार्यदायी संस्था को धनराशि निर्गत किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त रू0 225.00 लाख की धनराशि पर अब तक कुल अर्जित ब्याज कितना है तथा इस ब्याज को योजना हेतु व्यय किये जाने के सम्बन्ध में अथवा भारत सरकार को वापस किये जाने के सम्बन्ध में क्या दिशा— निर्देश है।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0—361(P)/XXVII(3)/2016 दिनांक 10/02/2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या—164/XXVIII(1)/2016- 15 (नर्सिंग) /2011 तद्दिनांक

1- 12- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2- 13- आयुक्त, कुमॉयू मण्डल।
3- 14- जिलाधिकारी, नैनीताल।
4- 15- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5- 16- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6- 17- महाप्रबन्धक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम नेहरू कालोनी, देहरादून।
7- 18- बजट प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8- 19- वित्त अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन।
9- 20- नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10- 21- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
11- 22- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।